

बिहार सरकार

विधि विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

का०आ०सं०-बी०/मु०स्था०-०१-०३/२०११/१२८/जे०, पटना, दिनांक-१४.०९.१२

विधि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-७२/जे० दिनांक-१६.०५.२०११-सह पठित ज्ञापांक-३१६५/जे० दिनांक-२४.०५.२०११ द्वारा कुल ७(सात) प्रशाखाओं का गठन किया गया है। उसके संलग्न विवरणी के अनुसार प्रशाखाओं के कार्यो का आवंटन किया गया है, के क्रमांक-१ प्रशाखा-ए-एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के कंडिका-१५ में विधि आयोग का कार्य आवंटित है उसमें आंशिक रूप से संशोधित करते हुये विधि आयोग का स्थापना संबंधी कार्य प्रशाखा-बी मुख्यालय स्थापना प्रभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा, एवं विधि आयोग से संबंधित अन्य सभी कार्य प्रशाखा-ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

२. उक्त आदेश की शेष कंडिकायें यथावत रहेगी।
३. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं०-.....६९८२...../जे०, पटना, दिनांक-.....१९.०९.१२.....

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारीगण (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), विधि विभाग, बिहार, पटना तथा सभी कर्मचारीगण, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव, बिहार।

१९/०९/१२